एन0आई0सी0 द्वारा तैयार की जा रही राजस्व वसूली की ऑनलाईन फाइलिंग (Online filing of R.C.) एवं भू–अभिलेखों पर ऋण का प्रभार दर्ज (Online Charge Creation) किये जाने से सम्बन्धित वेब एप्लीकेशन के प्रदर्शन (Demo) के सम्बन्ध में दिनांक 09–05–2017 को सम्पन्न हुयी बैठक का कार्यवृत्त :–

<u>उपस्थिति</u> :– संलग्नानुसार।

---0000---

सर्वप्रथम आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् द्वारा बैठक में प्रतिभाग हेतु उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये। आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् द्वारा पूर्व में राजस्व वसूली की ऑनलाईन फाईलिंग एवं भू–अभिलेखों पर ऑनलाईन ऋण का प्रभार दर्ज किये जाने हेतु एन0आई0सी0 द्वारा तैयार की जा रही वेब एप्लीकेशन की स्थिति से अवगत कराया गया। वर्णित वेब एप्लीकेशनों पर चर्चा उपरान्त तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 एवं एन0आई0सी0 की टीम द्वारा राजस्व वसूली की ऑनलाईन फाइलिंग (Online filing of R.C.) एवं भू–अभिलेखों पर ऑनलाईन ऋण का प्रभार दर्ज (Online Charge Creation) किये जाने हेतु तैयार की जा रही वेब एप्लीकेशनों का क्रमशः प्रदर्शन किया गया। एप्लीकेशनों के प्रदर्शन का अवलोकन करने उपरान्त बैठक में परिचर्चा के पश्चात वर्णित एप्लीकेशनों में आवश्यक सुधार सम्बन्धी निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

2. बैठक में राजस्व वसूली की ऑनलाईन फाइलिंग (Online filing of R.C.) हेतु तैयार की जा रही वेब एप्लीकेशन में सर्वप्रथम गत बैठकों में दिये गये सुझावों/निर्देशों को वेब एप्लीकेशन में समायोजित किये जाने का बिन्दुवार अनुश्रवण किया गया। एन0आई0सी0 की टीम द्वारा एप्लीकेशन में पूर्व में राजस्व परिषद् स्तर से दिये गये निर्देशों को बैठक में प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शन का अवलोकन करने उपरान्त एप्लीकेशन में कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक सुधार एवं कार्यवाही सम्बन्धी निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

- i- सभी यूजर्स को एस0एम0एस0 (SMS) से भी सूचित किये जाने की व्यवस्था एवं बकायेदार के मोबाईल नम्बर को भी जोड़े जाने हेतु एप्लीकेशन में एस0एम0एस0 गेटवे (SMS Gateway) को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।
- ii- एप्लीकेशन में अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अमीन स्तर पर अनुश्रवण हेतु समस्त रिपोर्ट प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाय।
- iii- एप्लीकेशन में वसूली के सम्बन्ध में नियमों एवं प्राविधानों में जो भी प्रपत्र मासिक/पाक्षिक रिपोर्ट तैयार करने हेतु विहित हैं, उन पर रिपोर्ट डाउनलोड करने की व्यवस्था किये जाने की अपेक्षा की गयी।
- iv- वसूली की मांग भेजने वाले बैंक अथवा विभाग द्वारा आर0सी0 को डिटिजली साईन कर राजस्व विभाग को प्रेषित किये जाने की व्यवस्था भी किये जाने की अपेक्षा की गयी।
- v- आर0सी0 (RC) को मुख्य राजस्व लेखाकार (CRA) द्वारा तहसीलदार को सीधे प्रेषित कराये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका अनुश्रवण अपर जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- vi- एप्लीकेशन के डैशबोर्ड (Dashboard) में 01 वर्ष पुरानी आर0सी0 एवं बड़ी धनराशि की वसूली वाले बकायेदारों की पृथक–पृथक सूची प्रदर्शित कराये जाने व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये।
- vii- जिला कार्यालय से तहसील स्तर को प्रेषित आर0सी0 का प्रत्येक 15 दिन में प्रत्येक स्तर पर अनुश्रवण हेतु अलर्ट नोटिफिकेशन (Alert Notification) प्रदर्शित किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्त बिन्दुओं को एप्लीकेशन में समायोजित करने के सम्बन्ध में तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी से अपेक्षा की गयी तथा यह भी अवगत कराया गया कि यदि विभाग स्तर से किसी प्रकार के इनपुट/सहायता की आवश्यकता है तो प्रभारी उप राजस्व आयुक्त (भू0व्य0) से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाय।

(कार्यवाही—तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 / प्रभारी उप राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद्)

4. भू–अभिलेखों पर ऋण का प्रभार ऑनलाईन दर्ज किये जाने हेतु एन0आई0सी0 द्वारा तैयार की गई Online Charge Creation सम्बन्धी वेब एप्लीकेशन के सम्बन्ध में परिचर्चा के पश्चात निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में बैंकों द्वारा देवभूमि एप्लीकेशन में भू–अभिलेखों का डाटा अद्यावधिक न होने सम्बन्धी बिन्दु के निराकरण हेतु एन0आई0सी0 द्वारा तहसील स्तर पर ही देवभूमि एप्लीकेशन में भू–अभिलेखों के अद्यावधिक डाटा को अपलोड करने हेतु तैयार नवीन एप्लीकेशन के सिक्योरिटी ऑडिट करवाये जाने के सम्बन्ध में सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 27–04–2017 को की गई बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 / प्रभारी उप राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद्)

अन्त में बैठक में प्रतिभागी अधिकारियों / कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का विसर्जन किया गया।

ह0/–
(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड

संख्याः– 1297/रा0प0/2016–17,
देहरादून; दिनांकः 27 मई, 2017

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास विभाग, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. स्टॉफ ऑफिसर / उप राजस्व आयुक्त (भू0व्य0) / प्रभारी उप राजस्व आयुक्त (भू0व्य0) राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून को मा0 अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रेषित।
8. गार्ड फाईल / कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(सोनिया पन्त)
प्रभारी उप राजस्व आयुक्त (भू0व्य0)